

# न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मिसल नम्बर 370/18 तारीख रजू 23/01/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का 205 बनाम  
श्री मेकराम पुत्र हरालाल जाति जाट निवासी श्रीधवाडा तहसील

मधवा

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 13/03/18

आज यह पत्रावली बमुकाम मधवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री मेकराम ने ग्राम श्रीधवाडा को भूमि ख.न. 560 रकबा 0.0150 किस्म गन्ना फसल रबि / खरीफ संवत 20 17-18 में कास्त कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित नहीं आया। उसके द्वारा कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया अतिक्रमी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी जो मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है। अतः अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही किया जा उचित है

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 560 रकबा 0.0150 किस्म गन्ना बाके ग्राम श्रीधवाडा से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 0.48 का 50 गुणा 24 रु शक्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खड़ी फसल खरीफ को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खड़ी फसल को बन्द / निलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रजिस्टर ग/घ के पेश 120 पर  
वर्ष 2017-18 की राशि कायमी 24 रु  
की जमा कायमी की गई  
दिनांक 15/3/18 तहसील महवा लेखाकार  
तहसील-महवा

साहा  
तहसीलदार महवा  
महवा (दौसा)